तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु अंतरिम चार्ज को दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 24/5/24 को पेश हो। 08/04/24
14.5.24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु अंतरिम चार्ज को दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 20/8/24 को पेश हो 24/05/24
20.8.24	पत्रावली पेश हुई/वकील पक्षगण या एवं मुकाम ..... अभिभाषकगण ने ..... व्यावहारिक प्रश्न पर ..... बहस किया गया ..... अब पत्रावली दिनांक ..... 1.10.24 को पेश हो।
1.10.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित आराजीयात की मौका एवं कार्यवाही की गया स्थिति का स्थगन आदेश जारी किया जावे। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन कर परीक्षण किया गया परीक्षण उपरान्त पाया गया कि प्रार्थना पत्र के साथ पैतृक पुश्तैनी की आराजी होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण सं. 8/2017 डिक्री दिनांक 7.2.2018 की छाया प्रतियाँ पेश की गई है जिसमें भी आराजी नम्बर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 01/10/24 उपखण्ड अधिकारी डूंगला

अधिकृत अधिकारी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

वलत _____ मुकाम _____

बनाम _____

मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.11.05 14:05:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner